

23/2023  
8/6/23

फर्द अहकाम  
अज अदालत -जिला कलक्टर,-मुकाम -भरतपुर  
बनयसिंह बनाम विकास अधिकारी, सेवर  
किस्म मुकदमा-अपील आर.टी.आई. नम्बर 23 सन् 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
8.6.2023	<p>सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्त बनयसिंह पुत्र हरीसिंह ग्राम व पो. फुलवारा तहसील व जिला भरतपुर की सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपील लोक सूचना अधिकारी, विकास अधिकारी सेवर के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>अपील का अवलोकन किया गया। अपील के अवलोकन से जाहिर आया कि लोक सूचना अधिकार, विकास अधिकारी सेवर द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी को आर.टी.आई. के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सूचना नहीं दिये जाने के कारण यह अपील इस कार्यालय को प्रेषित की गई है।</p> <p>चूंकि आर.टी.आई. के तहत विकास अधिकारी सेवर के खिलाफ अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्रधान, पंचायत समिति सेवर का है। अतः प्राप्त मूल अपील प्रार्थी को वापिस कर सूचित किया जावे कि वे नियमानुसार अपील प्रधान, पंचायत समिति सेवर के यहाँ प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार हो बाद कार्यवाही दाखिल दफतर हो।</p>	<p>387 8/6/23 वापस की</p>

  
जिला कलक्टर  
भरतपुर